संख्याः- 1061 /XVII(1)-3/09-02(Budget)/09

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर/हरिद्वार

समाज कल्याण अनुभाग-3 देहरादून दिनांक 16, दिसम्बर, 2009

विषयः-बहुक्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु निर्वतन पर रखी गयी धनराशि की व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्याः-946/XVII-3/2009-02(बजट)/ 2009 दिनांक 18 नवम्बर, 2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद उधमसिंह नगर में 124 यूनिट एवं हरिद्वार में 100 यूनिट आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु क्रमशः रुपये 186.00 लाख एवं 150.00 लाख की धनराशि कतिपय प्रतिबन्धों के साथ आपके निर्वतन पर रखी गयी है। इस संबंध में अवगत कराना है कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये रुपये 3.00 लाख की धनराशि के आंगणन प्रस्ताव के सापेक्ष वित्त विभाग के टी0ए0सी0 द्वारा रुपये 2.88 लाख की धनराशि औचित्यपूर्ण पायी गयी है। अतः मॉडल आंगनबाड़ी आंगणन के डिजाइन एवं दरों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त दोनों जनपदों में कुल 224 यूनिट आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु संस्तुत मॉडल आंगणन के अनुसार कुल रुपये 645.12 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये शासनादेश संख्याः-946/XVII-3/2009-02(बजट)/ 2009 दिनांक 18 नवम्बर, 2009 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि में से संलग्न सूची के अनुसार कुल रुपये 322.56 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1. निर्माण कार्यों हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जायेगी। निर्माण कार्य के प्रगति एवं गुणवत्ता की निरन्तर समीक्षा करते हुये उक्त निर्माण निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जायेगा तथा भवन को विभाग को हस्तान्तरित किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा। आंगणन को किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

2. शासनादेश संख्याः-946//XVII-3/2009-02(बजट)/2009 दिनांक 18 नवम्बर, 2009 की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।
3. उक्त धनराशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा इस भवन के अनुरक्षण, रख-रखाव एवं संचालन हेतु कोई राशि देय नहीं होगी।
4. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
5. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है।
6. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से जी गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
7. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाये।
8. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना की स्वीकृति नार्म है, स्वीकृति नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
9. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
10. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
11. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।
12. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाए तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।
13. यदि स्वीकृति राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाए।

14. जी0पी0 डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
15. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शा0सं0-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2005 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
16. उक्त निर्माण कार्यों के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश-475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
17. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवायें, 800-अन्य व्यय, 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें, 0101-अल्पसंख्यक समुदाय हेतु मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट योजना (100% के0स0) के मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
18. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः-575(P)/XXVII(3)/2009, दिनांक 16 दिसम्बर, 2009 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः- 106 (1)/ XVII(1)-3/09-09(05)/06 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, हल्द्वानी-नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी-हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर।
9. वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(आर0 के0 चौहान)
अनु सचिव।